उत्तर प्रदेश शासन
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1
संख्या-12/2015/736/43-1-2015-7(5)/2014
लखनऊ : दिनांक 01 मई, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

श्री राज्यपाल महोदय प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-11/2015/1578/43-1-2014 दिनांक 30 अप्रैल, 2015 में प्रदत्त सदस्यता शुल्क में रियायत के भुगतान हेतु तथा इण्डियन इंस्टीटयूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली की उत्तर प्रदेश की रीजनल शाखा, लखनऊ को वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-46 के ''लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-004-अनुसंधान-03-इण्डियन इंस्टीटयूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली की उत्तर प्रदेश की रीजनल शाखा, लखनऊ को अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'' के मद में अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 2,22,500/- (रूपये दो लाख बाईस हजार पॉच सौ मात्र) तथा रू0 5000/- (रूपये पॉच हजार मात्र) कुल रू0 2,27,500/- (रूपये दो लाख सत्ताईस हजार पॉच सौ मात्र) को आहरण एवं वितरण अधिकारी, प्रशासनिक सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त से सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृति कार्यालय ज्ञाप संख्या-11/2015/1578/43-1-2014-7(1)/2013 दिनांक 30 अप्रैल, 2015 द्वारा निर्गत की जा चुकी है।

एस0एन0 शुक्ल
प्रमुख सचिव।

संख्या-12/2015/736(1)/43-1-2014, तदद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबादा
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊा
4- अवैतनिक सचिव,आई0आई0पी0ए0,नई दिल्ली की उ0प्र0रीजनल शाखा, लखनऊ, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
6- अनुभाग अधिकारी, लेखा, प्रशासनिक सुधार विभाग को एक अतिरिक्त प्रति सहित।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लुटावन राम)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।